बजट आवंटन /आयोजनागत
संख्या– 179 /ix /41 /2008

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी०आई०पी० हैंगर, जौलीग्राण्ड एयरपोर्ट,
देहरादून उत्तराखण्ड ।

परिवहन एवं नागरिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक : 27 मार्च 2008।

विषय:– जनपद पिथौरागढ के विभिन्न स्थानों पर हैलीपैड के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1640/डी०एस०सी०ए०/ह०पट्टी–25/2008 दिनांक 15 फरवरी, 2008 एवं संख्या–1670/डी०एस०सी०ए०/ह०पट्टी–25/2008 दिनांक 18 फरवरी, 2008 एवं जिलाधिकारी, पिथौरागढ के पत्र संख्या—र–3196–पन्द्रह–25/2005–06 दिनांक 25 फरवरी 2008 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद में कम से कम एक–एक हैलीपैड की योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ के निम्न चयनित स्थानों पर उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ द्वारा गठित निम्नतालिका के विवरणानुसार आगणनों रू० 537.18 लाख (पाँच करोड़ सैंतीस लाख अठारह हजार मात्र) की लागत के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू० 469.27 लाख (चार करोड उनहत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकता के अनुसार व्यय हेतु आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्रमां०	जनपद का नाम	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग पिथौरागढ द्वारा गठित आगणन की लागत(धनराशि लाख रू० में)	टी०ए०सी०द्वारा संस्तुत धनराशि (धनराशि लाख रू० में)	निर्माण इकाई
1	राईआगर, बेरीनाग में हैलीपैड का निर्माण	97.01	84.24	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
2	गोठी, धारचूला में हैलीपैड का निर्माण	109.79	96.10	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
3	पापरी, मुन्स्यारी में हैलीपैड का निर्माण	116.01	101.97	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
4	उपराड़ा, गंगोलीहाट में हैलीपैड का निर्माण	109.11	95.42	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
5	औगला, डीडीहाट में हैलीपैड का निर्माण	105.26	91.54	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ
	योग	537.18	469.27	

1– उक्त धनराशि की आहरण की अलग से स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है। बल्कि इस धनराशि का व्यय हेतु आहरण शासनादेश संख्या–298/ix/2007 दिनांक 30 नवम्बर 2007 एवं शासनादेश संख्या–323/ix/20007 दिनांक 27 दिसम्बर 2007 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से ही किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि रू0 469.27 लाख (चार करोड़ उन्नहत्तर लाख सत्ताइस हजार) का आहरण उपरोक्त फॉट के अनुसार करते हुये संबंधित निर्माण इकाई के अधिशसी अभियन्ता को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। आगणनों में उल्लिखित दरों का विश्लेशण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल्ड आफफ रेट में स्विकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स मे स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार स्टोर पर्चेज नियमों का ध्यान रखा जाय।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एम०ओ०आर०टी०एच० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों का ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए एवं इस संबंध में पूर्व मानको एवं स्टोर पर्चेस नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

10– हैलीपैड के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों की एक प्रति के साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा हैलीपैड एवं H के संबंध में निर्धारित मानक आगणन की भी एक प्रति संलग्न है। इस संबंध में निर्माण इकाई द्वारा जिलाधिकारी से आवश्यक परामर्श करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

11–इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक बाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेंगे।

12–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय।

14–धनराशि का व्यय करते समय वित्तीयगत सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15–कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5–4–05 का अनुपालन किया जायेगा।

16–जारी अनुमोदित आगणन की सीमान्तर्गत ही कराया जाय किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन/अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

17–कार्यदायी संस्था/ईकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

18–कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यों में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण ईकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

19– कार्य करने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। तथा निरीक्षण के पश्चात स्थल निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

20– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv –291(2006) दिनांक 30–5–6 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने के बाध्य करें।

21–जी0पी0डब्लू फर्म–09 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण ईकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

23– स्वीकृति की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना माह में दो बार निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–08 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा यदि दिनांक 31–3–08 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी। अग्रिम के रूप में आहरित इस धनराशि का दिनांक 3–3–2008 तक समायोजन का दायित्व संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण इकाई का ही होगा। अन्यथा इस बशेष अनियमितता मानकर ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–24 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमानपत्तन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–11–व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार के मानक मद–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–238/XXVII (2)/2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–/71 /IX /[illegible]/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– [illegible], देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊँ।
3– निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
5– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– [illegible] उत्तराखण्ड पेयजल निगम,पिथौरागढ़
8– अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ़ ।
9– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण विंग ,पिथौरागढ़ ।
10– वित्त अनुभाग–2
11– गार्ड फाइल।
12– एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।